विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	उत्तर
5-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद- सीतापुर, विकास खण्ड- पहला की ग्राम पंचायत-मरहमत नगर में कोई भी सामुदायिक केन्द्र न होने से क्षेत्र की गरीब जनता को शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?	अतिपिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत विकास योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कराया जाता है, जिसमें विवाह संस्कार, अन्य सांस्कृतिक आयोजन सम्पन्न कराये जाने के साथ-साथ रोजगार प्रशिक्षण, कृषि उपज का वितरण तथा बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अवसर पर इन केन्द्रों का उपयोग किया जाता है। सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने के लिए यह मानक निर्धारित है कि उस ग्रामसभा की अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम 25 प्रतिशत हो। सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने हेतु दो श्रेणियां निर्धारित हैं- 1-जहां कम से कम 500 वर्ग मी0 नि:शुल्क भूमि उपलब्ध हो। 2-जहां कम से कम 1050 वर्ग मी0 नि:शुल्क भूमि उपलब्ध हो।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ?	योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले ग्रामों के प्रस्ताव के अनुसार आगणन कार्यदायी संस्था से तैयार कराते हुए, सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये जाते है। तत्पश्चात बजट की उपलब्धतानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

Signed by
Asim Kumar Arun
Date: 19-02-2025 17:08:29

(असीम अरूण)
राज्यमंत्री (स्व0प्र0)।